



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022025-261078  
CG-DL-E-15022025-261078

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 804]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2025/माघ 25, 1946

No. 804]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2025/MAGHA 25, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2025

**का.आ. 808(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, (NH183) के कि.मी 0/300 से 62/100(कोल्लम से अंजिलीमुडू) केरल राज्य के दो लेन/चार लेन के साथ पेव्ड शोल्डर में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

## अनुसूची

केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH183 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	स्पेशल तहसीलदार एँलूए(एँन्हेच्), यूनिट नो. 1, कोलाम (एँन्हेच् 66)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH183 के कि.मी 0.3 से कि.मी 62.1 तक	केरल	कोल्लम	कोल्लम	1 पनायम
2	स्पेशल तहसीलदार, एँलूए (एँन्हेच्), यूनिट नो 1, आलप्पुषा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH183 के कि.मी 0.3 से कि.मी 62.1 तक	केरल	अलप्पुज़:	चेंगन्नूर	1 मुलाकुझा

[फा. सं. RW/TRI/TECH/MISC/155/2016-17]

अभय जैन, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2025

**S.O. 808(E).**—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2L+PS/4 laning with paved shoulders of km. 0/300 to 62/100 (Kollam to Anjilimoodu) of NH 183 in the State of KERALA.

**SCHEDULE**

Land acquisition on National Highway No. NH183 in the State of KERALA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Tahsildar LA(NH), Unit No. 1, Kollam (NH 66)	NH183 KM 0.3 TO KM 62.1	KERALA	KOLLAM	Kollam 1	Panayam
2	Special Tahsildar, LA (NH), Unit No 1, Alappuzha	NH183 KM 0.3 TO KM 62.1	KERALA	ALAPPUZHA	Chengannur 1	Mulakuzha

[F. No. RW/TRI/TECH/MISC/155/2016-17]

ABHAY JAIN, Director